रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 78] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 9, 1985/चैत्र 19, 1907
No. 78] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 9, 1985/CHAITRA 19, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1985

सं. आर.एस. 1/3/85-एस.—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश, दिनांक 9 अप्रैल, 1985, आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा राज्य सभा को सोमवार, 29

अप्रैल, 1985 को मध्याह्न पूर्व 11-00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करता हूं ।

9 अप्रैल, 1985

ज़ैल सिंह,
राष्ट्रपति ।"

सुदर्शन अग्रवाल, महासचिव ।

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 1985

No. RS. 1|3|85-L.—The following Order by the President, dated the 9th April, 1985, is published for general information :—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Rajya Sabha to meet at 11.00 A.M. on Monday, the 29th April, 1985, at New Delhi.

The 9th April, 1985. ZAIL SINGH,
President."

SUDARSHAN AGARWAL, Secy.-General.

PRINTED BY THE MANAGI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985